

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 357] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 1982/अग्रहायण 5, 1904
No. 357] NEW DELHI, FRIDAY, NOV. 26, 1982/AGRAHAYAN 5, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पसल पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1982

सा० का० सि० 722(अ)-- महापत्तन व्यापक अधिनियम, 1963 (1963 का 48)
की धारा 7 (2) (ख) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, केन्द्रीय सरकार संयुक्त सचिव (पसल प्रशासन), नौवहन और परिवहन मंत्रालय के
स्थान पर संयुक्त सचिव (नौवहन), नौवहन और परिवहन मंत्रालय की कसकता के ट्रस्टी बोर्ड
में नौवहन और परिवहन मंत्रालय का प्राबल्यपूर्ण करने के लिए ट्रस्टी नियुक्त करना है और

नौवहन और पारवहन मन्त्रालय (पत्तन पक्ष) में भारत सरकार की अधिवृत्ता सं० मा० का०
नं० 285(अ) दिनांक 31 मार्च, 1982 में निम्नलिखित संशोधन करना है, अर्थात्—

उक्त अधिवृत्ता में क्रम संख्या 8 में "संयुक्त सचिव (पत्तन प्रचालन), नौवहन और पार-
वहन मन्त्रालय" के स्थान पर "संयुक्त सचिव (नौवहन), नौवहन और पारवहन मन्त्रालय" रखेंगे।

[का० सं० पी० डब्ल्यू/पाटीबी-58/81]

एस० पी० अम्ब्रोस, अपर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 1982

G.S.R. 722 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3, read with section 7(2) (b) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the Joint Secretary (Shipping), Ministry of Shipping and Transport, as a Trustee to represent the Ministry of Shipping and Transport, on the Board of Trustees of the Port of Calcutta **vice** the Joint Secretary (Ports Operations), Ministry of Shipping and Transport and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 285(E), dated the 31st March, 1982, namely :—

In the said notification, against Serial Number 8, for the entry "Joint Secretary (Ports Operations), Ministry of Shipping and Transport", the entry "Joint Secretary Shipping, Ministry of Shipping and Transport" shall be substituted.

[F. No. PW/PTB-58/81]

S. P. AMBROSE, Additional Secy.